

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स: 05948-220003 ई-मेल: cfwkum-forest-uk@nic.in
पत्र संख्या: 2021 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 19 मई 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहननाथ गोस्वामी मेमोरियल, मिनी स्टेडियम, लालकुंआ के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या 8बी/यू०सी०पी०/०९/६०/२०२१/एफ०सी०/१४३५ दिनांक २५.०१.२०२३, आपकी पत्र संख्या २०९६/१२-१ दिनांक १९.०२.२०२५ एवं पत्र संख्या २७७८/FP/UK/Others/138244/2021 दिनांक ०२.०६.२०२३।

महोदय,

संदर्भित पत्रों के अनुपालन में दिये गये निर्देशों के अनुरूप विषयांकित प्रकरण में चाही गयी सूचना के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपनी पत्र संख्या ७१३३/१२-१ दिनांक ०८.०५.२०२५ से आपत्तियों का निराकरण कर उत्तरालेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या मय संलग्नकों सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किये जा रहे हैं।

(संलग्न: उपरोक्तानुसार।)

भवदीय,

(डा० विनय भार्गव)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक: 2021 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनकी पत्र संख्या ७१३३/१२-१ दिनांक ०८.०५.२०२५ के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० विनय भार्गव)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

011



कार्यालय प्रभाषीय वनाधिकारी, तथाई पूर्वी वन प्रभाव, हल्द्वानी

शीशमवाग वन परिसर, जेल रोड, हीशनगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 7133 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 8-5-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहननाथ गोस्वामी मेमोरियल, मिनी स्टेडियम, लालकुआँ के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०-FP/UK/Others/21599/2016)

संदर्भ:- प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक-815/यु०क०/श०मो०ना०गो०-मिनी स्टे०/ 2022-23 दिनांक-22.07.2023 एवं प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक- 1408/यु०क०/श०मो०ना०गो०-मिनी स्टे०/ 2022-23 दिनांक-25.09.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून ने पत्रांक-2096/12-1 दिनांक-19.02.2025 (संलग्न-1), द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./09/60/2021/एफ०सी०/1435 दिनांक-25.01.2023 एवं दिनांक-20.05.2023 को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में हुयी बैठक के कार्यवृत्त का पत्रांक-2778/FP/UK/Others/138244/2021 दिनांक-02.06.2023 में उल्लिखित क्रमशः 4 बिन्दुओं एवं 10 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

EDS Dated-25.01.2023 की आख्या:-

क्र० सं०	EDS	निराकरण
1	In reply to point 1 and 2, it is observed that the reasonable clarification with sufficient proofs/documents is not yet furnished. It is requested to go through the point No.1&2 of this office EDS dated 12-01-2022 and submit the requisite information/documents/clarification.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक-815/यु०क०/श०मो०ना०गो०-मिनी स्टे०/ 2022-23 दिनांक-22.07.2023 से अवगत कराया है कि (संलग्न-2) परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) उत्तराखण्ड देहरादून के मानकों के अनुरूप साइट प्लान तैयार किया गया है, जोकि प्रतिवर्ष 10-11 खेल विधाओं के आयोजन हेतु आवश्यक है, उक्त भूमि में 200 मी० का रनिंग ट्रैक के अलावा बॉलीबाल कोर्ट, खो०खो० कोर्ट, कबड्डी कुश्ती पिच आदि का निर्माण कार्य किये जायेंगे- जैसे प्रशासकीय ब्लॉक, मल्टीपरपज हॉल, पम्प हाउस व जेनरेटर रूम, बाउन्ड्री वाल-पवेलियन, इन्डोर गेम हॉल, चेन्जिंग रूम, गार्ड रूम, स्टोर रूम, बाथरूम, पेयजल व्यवस्था अन्य सम्बन्धित निर्माण कार्य होंगे, जिस हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु विस्तृत आख्या प्रस्तुत उक्त साइट प्लान को ऑनलाइन Part 01- additional information में अपलोड कर दिया गया है। परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय द्वारा बनाया गया standard desine पूर्व में ही प्रस्तुत किया गया है, जिसे पुनः संलग्न किया जा रहा है। 1.5 हे० भूमि के अतिरिक्त अन्य खेल सुविधाओं के विकास हेतु 4.9962 हे० भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। जिन्हें ऑनलाइन part 01&additional information में अपलोड कर दिया गया है। भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के प्रपत्र नं०-25 में परियोजना का मदवार विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसे पुनः संलग्न कर भेजा जा रहा है। एवम् part 01- additional information में अपलोड भी कर दिया गया है। दिनांक- 20.05.2023 को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल

	अधिकारी कार्यालय में आयोजित एक विशेष बैठक में अपर प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के प्रपत्र नं०-25 में दर्ज समस्त कम्पोनेन्ट के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।
2. Guidelines/norms/standards for various activities to be carried out have not been provided. State Government is requested to submit the documents in this regard.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक-815/यु०क०/श०मो०ना०गो०-मिनी स्टे०/ 2022-23 दिनांक-22.07.2023 अवगत कराया गया है कि परियोजना प्रबन्धक पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय द्वारा बनाया गया standard desine पूर्व में ही प्रस्तुत किया गया है, उक्त खेल मैदान बनाये जाने वाले अन्य कम्पोनेन्ट की रंगीन प्रतियां पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।
3. The State Govt. is requested to provide the information about stadiums/ sports complexes in the city and nearby areas.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक-815/यु०क०/श०मो०ना०गो०- मिनी स्टे०/ 2022-23 दिनांक-22.07.2023 अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्तावित भूमि के आस पास कोई भी अन्य खेल मैदान नहीं है। साथ ही कार्यालय पत्र संख्या-713/श०मो०ना०गो०-मिनी०स्टे०/2021-22 दिनांक-29.10.2021 के द्वारा उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु विस्तृत आख्या प्रस्तुत। दिनांक-20.05.2023 को अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी कार्यालय में आयोजित एक विशेष बैठक में अपर प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में सूचित करना समीचीन प्रतीत होता है कि उक्त प्रस्तावित खेल मैदान के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में कोई भी अन्य स्टेडियम मौजूद नहीं है। उक्त क्षेत्र में 13 सरकारी विद्यालय मौजूद है, एवं 45 प्राइवेट विद्यालय एवं एक डिग्री कॉलेज भी स्थित है। 23 ग्राम पंचायतें व 56 राजस्व ग्राम स्थित है एवं नगर पंचायत लालकुआं व बिन्दुखत्ता का पूरा क्षेत्र अलग से स्थित है, उक्त दोनों क्षेत्रों बिन्दुखत्ता व लालकुआं की जनसंख्या क्रमशः 80765 व 30480 लगभग है। 2011 में ग्राम पंचायतों की जनगणना के अनुसार उक्त क्षेत्र के ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 52848 है, जो वर्तमान में लगभग 01 लाख से ऊपर हो गयी होगी। जिनके खेलने एवं अन्य खेल गतिविधि हेतु कोई खेल मैदान स्थित नहीं है। हल्द्वानी नगर क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम व अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार स्थित है, उक्त प्रस्तावित स्थल से मिनी स्टेडियम हल्द्वानी व अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार लगभग 22 व 25 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम मूलतः क्रिकेट के लिये निर्मित है। वहां पर तैराकी व बैडमिन्टन आदि की सुविधा आदि मौजूद है, लेकिन उक्त प्रस्तावित स्थल से दूर होने के कारण स्थानीय खिलाड़ियों व विशेषतः बालिकाओं को अभ्यास हेतु पहुंचना बहुत दुष्कर है। महोदय उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के ठीक बगल में आइ०टी०बी०पी० का परिसर स्थित है, जो वन भूमि हस्तान्तरण के बाद ही निर्मित है, जहां पर एक खेल मैदान स्थित है, जो केवल आइ०टी०बी०पी० के निजी प्रयोग व भर्ती आदि हेतु उपयोग में आता है जिसे आम जनमानस को उपयोग की अनुमति नहीं है। उक्त रिपोर्ट part 01- additional information में अपलोड कर दी गयी है।
4. The layout plan uploaded as an additional documents in online Part I shows presence of hostels in the area, which has not been reflected in the component-wise breakup. State Government is requested to submit clarification in this regard and it is also requested that all the components are required to be provided at para B 2-4(Component wise breakup) in Para 1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक-815/यु०क०/श०मो०ना०गो०-मिनी स्टे०/ 2022-23 दिनांक-22.07.2023 अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु के अनुपालन में परियोजना प्रबन्धक अस्थाई निर्माण इकाई (खेल) देहरादून को उक्त प्रस्तावित खेल मैदान में बनने वाले कम्पोनेन्ट का अलग-अलग ले आउट प्लान तैयार कर(11 प्रति रंगीन) उक्त खेल मैदान में बनने वाले सभी कम्पोनेन्ट की अलग-अलग रंगीन ले आउट प्राप्त होते ही इसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया जायेगा।

1.	प्रस्तावित स्टेडियम निर्माणा स्थल से आस-पास में पूर्व से संचालन में आ रहे स्टेडियमों की हवाई तथा मोटर से दूरी सूचित किया जाये और साथ ही जनपद मानचित्र में दर्शाया जायें।	प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक- 1408/यु0क0/श0मो0ना0गो0-मिनी स्टे0/ 2022-23 दिनांक-25.09.2023 (संलग्न-3) द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्टेडियम के आस-पास कोई अन्य स्टेडियम मौजूद नहीं। उक्त प्रस्तावित स्थल के पास ITBP परिसर का एक खेल मैदान है जो आम जनमानस के लिये खुला नहीं रहता है। उक्त खेल मैदान में ITBP की अपने क्रियाकलाप व भर्ती की प्रक्रियाएँ सम्पादित की जाती है।
2.	आस-पास में/जनपद में वर्तमान में प्रयोग में लाये जा रहे स्टेडियम, यदि कोई हैं तो, उनका स्तर-जनपद स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय सूचित किया जायें।	प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक- 1408/यु0क0/श0मो0ना0गो0-मिनी स्टे0/ 2022-23 दिनांक-25.09.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि हल्द्वानी नगर क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम व अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार स्थित है उक्त प्रस्तावित स्थल से मिनी स्टेडियम हल्द्वानी व अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौलापर लगभग 22 एवं 25 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम मूलतः क्रिकेट के लिये निर्मित है। वहां पर तैराकी व बैडमिन्टन आदि की सुविधा आदि मौजूद है, लेकिन उक्त प्रस्तावित स्थल से दूर होने के कारण स्थानीय खिलाड़ियों व विशेषतः बालिकाओं का अभ्यास हेतु वहां पहुंचना बहुत दुष्कर है। महोदय उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के ठीक बगल में आइ0टी0बी0पी0 का परिसर स्थित है, जो वन भूमि हस्तान्तरण के बाद ही निर्मित है, जहां पर एक खेल मैदान स्थित है, जो केवल आइ0टी0बी0पी0 के निजी प्रयोग व भर्ती आदि हेतु उपयोग में आता है जिसे आम जनमानस को उपयोग की अनुमति नहीं है। उक्त रिपोर्ट part 01-additional information में अपलोड कर दी गयी है।
3.	प्रस्तावित स्टेडियम द्वारा आस-पास के किन-किन आवासीय क्षेत्र (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका आदि) के नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करायेगी के सम्बन्ध सूचना उपलब्ध करायी जायें।	प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक- 1408/यु0क0/श0मो0ना0गो0-मिनी स्टे0/ 2022-23 दिनांक-25.09.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्तावित भूमि के आस पास कोई भी अन्य खेल मैदान नहीं है। साथ ही कार्यालय पत्र संख्या-713/श0मो0ना0गो0-मिनी स्टे0/2021-22 दिनांक-29.10.2021 के द्वारा उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु विस्तृत आख्या प्रस्तुत। दिनांक-20.05.2023 को अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी कार्यालय में आयोजित एक विशेष बैठक में अपर प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में सूचित करना समीचीन प्रतीत होता है कि उक्त प्रस्तावित खेल मैदान के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में कोई भी अन्य स्टेडियम मौजूद नहीं है। उक्त क्षेत्र में 13 सरकारी विद्यालय मौजूद है, एवं 45 प्राइवेट विद्यालय एवं एक डिग्री कॉलेज भी स्थित है। 23 ग्राम पंचायतें व 56 राजस्व ग्राम स्थित है एवं नगर पंचायत लालकुआं व बिन्दुखत्ता का पूरा क्षेत्र अलग से स्थित है, उक्त दोनो क्षेत्रो बिन्दुखत्ता व लालकुआं की जनसंख्या क्रमशः 80765 व 30480 लगभग है। 2011 में ग्राम पंचायतों की जनगणना के अनुसार उक्त क्षेत्र के ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 52848 है, जो वर्तमान में लगभग 01 लाख से ऊपर हो गयी होगी। जिनके खेलने एवं अन्य खेल गतिविधि हेतु कोई खेल मैदान स्थित नहीं है। हल्द्वानी नगर क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम व अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार स्थित है, उक्त प्रस्तावित स्थल से मिनी स्टेडियम हल्द्वानी व अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार लगभग

	22 व 25 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम मूलतः क्रिकेट के लिये निर्मित है। वहां पर तैराकी व बैडमिन्टन आदि की सुविधा आदि मौजूद है, लेकिन उक्त प्रस्तावित स्थल से दूर होने के कारण स्थानीय खिलाड़ियों व विशेषतः बालिकाओं को अभ्यास हेतु पहुंचना बहुत दुष्कर है। महोदय उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के ठीक बगल में आइ०टी०बी०पी० का परिसर स्थित है, जो वन भूमि हस्तान्तरण के बाद ही निर्मित है, जहां पर एक खेल मैदान स्थित है, जो केवल आइ०टी०बी०पी० के निजि प्रयोग व भर्ती आदि हेतु उपयोग में आता है जिसे आम जनमानस को उपयोग की अनुमति नहीं है। उक्त रिपोर्ट part 01-additional information में अपलोड कर दी गयी है।
4.	प्रस्तावित स्टेडियम का निर्माण Non site Specific श्रेणी में आती हैं, अतैव स्टेडियम उसी स्थल विशेष (वन भूमि) में निर्माण किये जाने का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत किया जाये। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक- 1408/यु०क०/श०मो०ना०गो०-मिनी स्टे०/ 2022-23 दिनांक-25.09.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि महोदय उक्त क्षेत्र Non site Specific श्रेणी में आने के बावजूद भी उक्त स्टेडियम का निर्माण उसी स्थल पर करने के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त स्थल हेतु घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्थानीय शौर्य चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी जी के नाम से की है जिनका निवास उक्त प्रस्तावित स्टेडियम के पास ही स्थित है, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र में कहीं भी ऐसी कोई सार्वजनिक भूमि नहीं है, जिसमें खेल मैदान का निर्माण किया जा सके। यहां यह भी अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावित स्थल के उत्तर में ITBP परिसर (वन भूमि हस्तान्तरित) स्थित है, जिस हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण किया गया है। महोदय जैसा कि पूर्व के विभिन्न पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है कि, उक्त प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त कोई भी अन्य भूमि उक्त क्षेत्र में नहीं है। जिस कारण उक्त वन भूमि को स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है, साथ ही शहीद मोहननाथ गोस्वामी जी के आवास के पास होने के कारण भी उक्त वन भूमि को स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है अतः आपसे सादन अनुरोध है कि उक्त भूमि को प्रस्तावक विभाग के नाम हस्तान्तरित करने की महती कृपा करेंगे। ताकि वहां पर स्टेडियम का निर्माण किया जा सके।
5	शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम बिनमुखत्ता स्टेडियम 4.9962 है० वन भूमि के निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अवगत कराया जाये कि अन्य स्टेडियम के सापेक्ष प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण हेतु इतनी बड़ी वन भू-भाग में निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में सुस्पष्ट एवं औचित्यपूर्ण सूचना प्रस्तुत किया जाये। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक- 1408/यु०क०/श०मो०ना०गो०-मिनी स्टे०/ 2022-23 दिनांक- 25.09.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि महोदय उपरिखित अन्य आपत्तियों के निराकरण में अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र में खेल गतिविधियों हेतु कोई भी सुविधा व एक मानक स्टेडियम लगभग अधिकांश खेल गतिविधियों हेतु नहीं है। 4.9962 है० भूमि का अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य उन सभी खेल सुविधाओं का विकास करने हेतु अत्यधिक आवश्यक है। (वर्तमान में जो खेल सुविधाएँ उक्त स्टेडियम के निर्माण के दौरान तैयार की जायेगी उक्त का विस्तृत ले आउट संलग्न)। चूंकि उक्त क्षेत्र में खेल गतिविधियों हेतु खिलाड़ियों के लिये कोई भी मैदान नहीं है, उक्त खेल मैदान उक्त क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिये मील का पत्थर साबित होगा। भविष्य में उक्त खेल मैदान में खेल के क्षेत्र के उन सभी विभागों की स्थापना करना है, जो उक्त क्षेत्र में मौजूद नहीं है। महोदय उक्त खेल मैदान में विभाग उन खेल सुविधाओं को प्रदान करने की व्यवस्था करेगा जिससे खेल के क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी युवाओं व खिलाड़ियों को एक ही स्थल पर सभी खेलों की सुविधा प्राप्त हो सके। परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) उत्तराखण्ड देहरादून के मानकों के अनुरूप साइट प्लान तैयार किया

		गया है, जोकि 10-11 खेल विद्याओं व अन्य निर्माण कार्य का ले आउट प्लान की रंगीन प्रतियां संलग्न प्रेषित की जा रही है। भूमि में 200 मी० का रनिंग ट्रैक के अलावा बॉलीबाल कोर्ट, खोखो कोर्ट, कबड्डी कुश्ती पिच, बास्केट बॉल कोर्ट आदि का निर्माण किया जाएगा एवं साथ ही अन्य निर्माण किया जायेंगे - जैसी प्रशासकीय ब्लाक, गर्ल्स हॉस्टल, मल्टीपरपज हॉल, पम्प हाउस व जेनरेटर रूम, बाउन्डर वाल, पवेलियन, इन्डोर गेम हॉल, चेन्जिंग रूम, गार्ड रूम, स्टोर रूम, बाथरूम, पेयजल व्यवस्था अन्य सम्बन्धित निर्माण कार्य होंगे, जिस हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु विस्तृत आख्या प्रस्तुत। उक्त साइट प्लान को ऑनलाइन part 01- aadditional information में अपलोड कर दिया गया है।
6.	उक्त क्षेत्र में स्थापित प्रा०विद्यालय, हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेज, अन्य संस्थानों का संख्या जिनको उक्त खेल मैदान के निर्माण में लाभ प्राप्त होगा के संबंध में सूचना उपलब्ध करायी जायें।	प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक- 1408/यु०क०/श०मो०ना०गो०-मिनी स्टे०/ 2022-23 दिनांक-25.09.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र में 13 सरकारी विद्यालय मौजूद हैं, एवं 45 प्राइवेट विद्यालय भी स्थित हैं एवं 23 ग्राम पंचायतें व 56 राजस्व ग्राम स्थित हैं एवं नगर पंचायत लालकुआ व बिन्दुखत्ता का पूरा क्षेत्र अलग से स्थित है उक्त दोनों क्षेत्रों बिन्दुखत्ता व लालकुआ की जनसंख्या क्रमशः 80765 व 30480 लगभग है। 2011 में ग्राम पंचायतों की जनगणना के अनुसार उक्त क्षेत्र के ग्राम पंचायतों की कुल जनसंख्या 52848 है, जो वर्तमान में लगभग 01 लाख से ऊपर हो चुकी होगी। जिनके खेलने एवं अन्य खेल गतिविधि हेतु कोई खेल मैदान स्थित नहीं है।
7.	शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम बिन्दुखत्ता प्रकरण हेतु सी०ए० भूमि बागेश्वर जनपद में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित वन भूमि उपयुक्त नहीं पायी गयी। अतएव क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु अन्य भूमि प्रस्तावित की जायें।	प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक- 1408/यु०क०/श०मो०ना०गो०-मिनी स्टे०/ 2022-23 दिनांक-25.09.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर के पत्र सं०-1096/12-1-2 दिनांक-27.09.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का औसतन घनत्व 0.4 से कम है, उक्त क्षेत्र में 1100 पौध प्रति है० वृक्षारोपण किया जा सकता है। उक्त पत्र की प्रति पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक-3697/12-1 दिनांक-12.12.2022 द्वारा प्रेषित की गयी है एवं part 02- aadditional information में अपलोड कर दी गयी है। पुनः प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
8.	कालाढूंगी रा०इ०कॉलेज में मिनी स्टेडियम का निर्माण हेतु पेयजल निर्माण निगम (खेल इकाई) द्वारा निर्मित ले-आउट प्लान के०एम०एल० से मैच नहीं हो रहा है।	उक्त बिन्दु इस प्रभाग से संबंधित नहीं है।
9.	सौनजाला के नाथूजाला लोक में मिनी स्टेडियम निर्माण निजी नाप भूमि में किया जाये क्योंकि उक्त स्थल के आस-पास काफी मात्रा में निजी भूमि उपलब्ध है।	उक्त बिन्दु इस प्रभाग से संबंधित नहीं है।
10.	ग्राम पंचायत आनन्दपुर के हरिपुर कुंवरसिंह में मिनी स्टेडियम निर्माण निजी नाप भूमि में किया जाये क्योंकि उक्त स्थल के आस-पास काफी मात्रा में निजी भूमि उपलब्ध है।	उक्त बिन्दु इस प्रभाग से संबंधित नहीं है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक-2418/12-1 दिनांक-05.10.2023(संलग्न-4) एवं पत्रांक-3015/12-1 दिनांक-21.11.2024(संलग्न-5) द्वारा उपरोक्त आख्या पूर्व में भी उच्च स्तर को संलग्न

सहित प्रेषित की जा चुकी है। उच्च स्तर के निर्देशानुसार चाही गयी सूचना पुनः संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय



(हिमांशु बागरी)

प्रभागीय वनाधिकारी

तुराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक- 7133/12-1/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी नैनीताल।



(हिमांशु बागरी)

प्रभागीय वनाधिकारी

तुराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी